

Press Release

दिनांक :- 13.10.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर द्वितीय चरण के विधान निर्वाचन क्षेत्रों के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ग) में निहित प्रावधानों के आलोक में उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ही सभी प्रकार के शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) के अनुसार "कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान – (क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा; या (ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे किसी अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा; या (ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।" अतः द्वितीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ही उक्त प्रतिबंध लागू होंगे।
3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) में निहित प्रावधानों के आलोक में किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन द्वितीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 16.10.2015 (शुक्रवार) को सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जायेगा।
4. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के द्वितीय चरण के 32 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान दिनांक 16.10.2015 (शुक्रवार) को निर्धारित है जिनमें से 9 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का

समय प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक, 12 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक तथा 11 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक है। द्वितीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के समय से संबंधित विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	मतदान का समय
1	2	3
कैमूर	203-रामगढ़	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	204-मोहनिया (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	205-भभुआ	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	206-चैनपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
रोहतास	207-चेनारी (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	208-सासाराम	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	209-करगहर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	210-दिनारा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	211-नोखा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	212-डिहरी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	213-काराकाट	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
अरवल	214-अरवल	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	215-कुर्था	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
जहानाबाद	216-जहानाबाद	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	217-घोसी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	218-मखदुमपुर (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
औरंगाबाद	219-गोह	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	220-ओबरा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	221-नवीनगर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
	222-कुटुम्बा (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
	223-औरंगाबाद	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	224-रफीगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
गया	225-गुरुआ	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
	226-शेरघाटी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
	227-इमामगंज (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
	228-बाराचट्टी (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
	229-बोध गया (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
	230-गया टाउन	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	231-टिकरी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
	232-बेलागंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक

	233-अतरी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
	234-वाजीरगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक

5. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरुद्ध, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 2380 लीटर अवैध शराब के अतिरिक्त गया जिला में 25 डेटोनेटर, 1 IED Tester, 1 खोखा एवं 12 कारतूस जब्त किया गया।

मधुबनी जिला में ₹1,09,500/-, अररिया जिला में ₹2,17,000/-, सहरसा जिला में ₹2,50,000/-, गोपालगंज जिला में ₹61,000/- एवं खगड़िया जिला में ₹2,890/- जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

6. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-
- | | |
|---|---|
| Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others) | 7 |
| Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others) | 3 |
| Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag) | 3 |
| Inducement /gratification to Electors/Cash, kind Distribution | 1 |
| Others | 2 |
7. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :-
- | | |
|--|--------------|
| No. of Arms/Weapons seized | 5 |
| No. of cartridges seized | 11 |
| No. of Bombs seized | 22 |
| No. of Licensed Arms deposited | 1733 |
| No. of Licensed Arms Cancelled | 27 |
| No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC | 4,837 |
| No. of non-bailable warrants executed | 279 |
| Fine collected in vehicle checking | Rs. 7,51,434 |
8. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई आज की गई :-
- | | |
|-------------------------------------|----|
| No. of prohibition cases registered | 42 |
|-------------------------------------|----|

No. of raids conducted	100
Volume of illicit liquor seized during raids	3669 litre
No. of persons arrested	46
Amount of fine imposed	Rs. 1,37,900

9. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर चतुर्थ चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आज दिनांक 13.10.2015 को निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हुआ है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	आज दाखिल नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या
1	2	3
पश्चिम चम्पारण	1-वाल्मीकिनगर	2
	2-रामनगर (अ0जा0)	6
	3-नरकटियागंज	1
	4-बगहा	7
	5-लौरिया	4
	6-नौतन	3
	7-चनपटिया	2
	8-बेतिया	4
	9-सिकटा	3
पूर्वी चम्पारण	10-रक्सौल	3
	11-सुगौली	4
	12-नरकटिया	2
	13-हरसिद्धि (अ0जा0)	2
	14-गोविन्दगंज	4
	15-केसरिया	2
	16-कल्याणपुर	4
	17-पिपरा	2
	18-मधुबन	2
	19-मोतिहारी	2
	20-चिरैया	5
21-ढाका	2	
शिवहर	22-शिवहर	3
सीतामढ़ी	23-रीगा	4
	24-बथनाहा (अ0जा0)	3

	25-परिहार	5
	26-सुरसंड	5
	27-बाजपट्टी	6
	28-सीतामढी	1
	29-रुन्नीसैदपुर	3
	30-बेलसंड	3
मुजफ्फरपुर	88-गायघाट	4
	89-औराई	3
	90-मीनापुर	3
	91-बोचहाँ (अ0जा0)	5
	92-सकरा (अ0जा0)	4
	93-कुढ़नी	5
	94-मुजफ्फरपुर	2
	95-काँटी	3
	96-बरुराज	1
	97-पारू	2
	98-साहेबगंज	1
गोपालगंज	99-बैकुण्ठपुर	5
	100-बरौली	3
	101-गोपालगंज	5
	102-कुचायकोट	5
	103-भोरे (अ0जा0)	5
	104-हथुआ	5
सिवान	105-सिवान	4
	106-जीरादेई	5
	107-दरौली (अ0जा0)	3
	108-रघुनाथपुर	3
	109-दरौंदा	3
	110-बड़हरिया	4
	111-गोरेयाकोठी	7
	112-महाराजगंज	6
कुल योग		195

इस प्रकार चतुर्थ चरण हेतु आज तक कुल 588 नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हो चुका है।

10. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर पंचम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आज दिनांक 13.10.2015 को निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से नाम-निर्देशन पत्र दाखिल

हुआ है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	आज दाखिल नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या
1	2	3
मधुबनी	31-हरलाखी *	3
	32-बेनीपट्टी	5
	33-खजौली	4
	34-बाबूबरही	2
	35-बिस्फी	1
	38-झंझारपुर	3
	39-फुलपरास	2
	40-लौकहा	4
सुपौल	41-निर्मली	2
	42-पिपरा	1
	45-छातापुर	1
अररिया	46-नरपतगंज	1
	47-रानीगंज (अ0जा0)	2
	48-फारबिसगंज	4
	49-अररिया	2
	50-जोकिहाट	1
किशनगंज	52-बहादुरगंज	2
	53-ठाकुरगंज	1
	54-किशनगंज	3
	55-कोचाधामन	3
पूर्णिया	56-अमौर	3
	57-बायसी	1
	58-कसबा	1
	59-बनमनखी (अ0जा0)	2
	60-रूपौली	2
	61-धमदाहा	2
	62-पूर्णिया	8
कटिहार	63-कटिहार	5
	64-कदवा	4
	65-बलरामपुर	4
	66-प्राणपुर	1

	67-मनिहारी (अ0ज0जा0)	2
	68-बरारी	2
मधुपुरा	73-मधुपुरा	2
सहरसा	77-महिषी	3
दरभंगा	78-कुशेश्वरस्थान (अ0जा0)	3
	79-गौड़ाबौराम	1
	80-बेनीपुर	2
	83-दरभंगा	4
	84-हायाघाट	1
	85-बहादुरपुर	7
	86-केवटी	3
	87-जाले	3
कुल योग		113

इस प्रकार पंचम चरण हेतु आज तक कुल 232 नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हो चुका है।
